उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :: A-4/DR/ M.O. & Manager /E-5/2023-24

डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा–2024

(Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration/Rajya Sampati Vibhag/Uttarakhand Public Service Commission Management Officer & Manager Examination- 2024)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	**19 जनवरी, 2024**
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	**09 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)**
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	**09 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)**

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 09 फरवरी, 2024** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी

	अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	**ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–10 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।** **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।**
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाईन आवेदन–पत्र Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
7.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–01**, पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–02,** आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–03 (क, ख, ग, घ, ङ:),** न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–04,** परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु **परिशिष्ट–05,** 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–06,** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–07, अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप हेतु परिशिष्ट–08,** अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक–लिस्ट हेतु **परिशिष्ट–09** का अवलोकन करें ।
8.	**i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। **ii.** प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे

	से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग–नौ तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2022** में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। **vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।**
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 के पत्रांक– 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15.	**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति (EWS) प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष–2022–23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिये तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।** **इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष– 2023–24 हेतु मान्य हो ।**
16.	उस दशा में जहाँ किसी पद के लिए अर्हता/योग्यता के अंतर्गत शैक्षिक/तकनीकी अर्हता के साथ वांछित अवधि का व्यवहारिक/अन्य अनुभव भी विद्यमान है, ऐसे व्यवहारिक/अन्य अनुभव की वांछित अवधि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिये। व्यवहारिक/अन्य अनुभव के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र विज्ञापन में की गयी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिये तथा आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।

17.	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, इस विज्ञापन में विद्यमान **परिशिष्ट–03** में दिये गये दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र के प्रारूप में, दिव्यांगता की श्रेणी के स्पष्ट उल्लेख सहित ही मान्य होगा।

व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा।

1. **रिक्तियों का विवरण :– डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक** पद की रिक्तियों की कुल संख्या **13** है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण पदवार/ श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है :–

(अ) पद का नाम :– व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल। (कुल पदों की संख्या : 01)

श्रेणी	**रिक्त पद**	**क्षैतिज रिक्तियों का विवरण**				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	**स्व0सं0से0 के आश्रित 2%**	**दिव्यांग 4%**	**पूर्व सैनिक 5%**	**उत्तराखण्ड प्रभावित/ अनाथ बच्चे 5%**
अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	00	00				00
अनुसूचित जनजाति	00	00				00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	00	00				00
योग	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः– समाज कल्याण, अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश सं0–48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0/पी0बी0, बी0, एच0एच0/पी0डी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डीडब्ल्यू0, एल0सी0** है।

1–	पदनाम –	व्यवस्थाधिकारी
2–	रिक्त पद –	01 पद
3–	वेतनमान–	₹44900–142400 (लेवल–7)
4–	पद का स्वरूप–	अराजपत्रित (भविष्य के लिए बने रहने की संभावना है।)
5–	पेंशन योजना–	अंशदायी पेंशन योजना
6–	आयु–	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष।
7–	शैक्षिक अर्हता–	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेन्ट मे डिग्री, (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम एक वर्ष का केटरिंग व हाउसकीपिंग में कार्य करने का अनुभव हो।

8–	अधिमानी अर्हता–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले मे अधिमान दिया जायेगा, जिसने– 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(ब) पद का नाम :– व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग (कुल पदों की संख्या : 10)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित / अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	06	02	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	02	01				00
अनुसूचित जनजाति	00	00				00
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00				00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	01	00				00
योग	**10**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः– समाज कल्याण, अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश सं0–48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0 / पी0बी0, बी0, एच0एच0 / पी0डी0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0 / ए0वी0,** है।

1–	पदनाम –	व्यवस्थापक
2–	रिक्त पद –	10 पद
3–	वेतनमान–	₹44900–142400 (लेवल–7)
4–	पद का स्वरूप–	अराजपत्रित, स्थायी / अस्थायी
5–	पेंशन योजना–	अंशदायी पेंशन योजना
6–	आयु–	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष।
7–	शैक्षिक अर्हता–	(क) भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो; तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी में 03 वर्षीय डिप्लोमा धारक भी हो। **अथवा** होटल मैनेजमेन्ट में स्नातक उपाधि नेशनल कांउसिल फॉर होटल मैनेजमेंन्ट एण्ड कैटिरिंग टैक्नोलॉजी (NCHMCT) या उससे सम्बद्ध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी हो। (ख) सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

		सरकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट तथा कैन्टीन सम्मिलित माने जायेंगे, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/निकाय के अधीन संचालित हो, जबकि निजी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेन्ट सम्मिलित माने जायेंगे, जिन्हें होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेंशन कमेटी (H.R.A.C.C) द्वारा स्टार रेटिंग्स प्रदान की गयी हो।
8–	अधिमानी अर्हता–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसमें – (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

(स) पद का नाम :– व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (कुल पदों की संख्या : 02)

श्रेणी	**रिक्त पद**	**क्षैतिज रिक्तियों का विवरण**				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	**स्व0सं0से0 के आश्रित 2%**	**दिव्यांग 4%**	**पूर्व सैनिक 5%**	**उत्तराखण्ड प्रभावित/ अनाथ बच्चे 5%**
अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	01	00				00
अनुसूचित जनजाति	00	00				00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	00	00				00
योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः– नोटः– समाज कल्याण, अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश सं0–48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां एचपी0बी0, एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, सी0पी0, एल0सी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डीडब्ल्यू0, एम0डी0** है।

1–	पदनाम –	व्यवस्थापक
2–	रिक्त पद –	02 पद
3–	वेतनमान–	₹35,400–1,12,400 (लेवल–6)
4–	पद का स्वरूप–	अराजपत्रित, स्थायी/अस्थायी
5–	पेंशन योजना–	अंशदायी पेंशन योजना
6–	आयु–	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष।
7–	शैक्षिक अर्हता–	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापन एवं खान–पान तकनीक (Hotel Management and

		Catering Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्णकालिक स्नातक उपाधि तथा, **(दो)** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee) द्वारा दो या इससे अधिक सितारों (Two Star and above) के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में, न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो।
8–	अधिमानी अर्हता–	अन्य बातें के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेवा न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। (3) एन0एस0एस0 का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(iv) आयुः– उपरोक्त पदों हेतु आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

1. <u>आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान–</u>

(i) अधिकतम् आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग** हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के **दिव्यांगजन** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0–406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0–124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पूर्व सैनिकों को

राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

3. <u>अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता</u> :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली, 2019 के नियम–4 के उपनियम (2) के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी **समूह ''ग''** के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

4. <u>राष्ट्रीयता</u> :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

<u>टिप्पणी</u> :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित

किया जा सकता है और उससे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

5. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

6. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका वह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7. शारीरिक स्वस्थताः– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

8. आरक्षणः– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उर्ध्वाधर आरक्षण तथा उत्तराखण्ड महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in देखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उपश्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(iii)अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा

प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(iv) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(v) दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत** की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांगता की जिस श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(vi) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के ***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would ceases*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(vii) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(viii) शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ix) अधिसूचना संख्याः–179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(x) शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–7** के साथ संलग्न है।

(xi) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया **(Procedure to apply online)** :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित,** अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पर क्लिक कर फॉर्म पर **Post** के अंतर्गत **Post** में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पर के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं। उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरांत चयन किये कये पदों का विवरण प्रदर्शित होगा।।
6. तत्पश्चात् **Educational Details** के अंतर्गत अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
7. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed**

Button पर क्लिक करें। ततपश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

8. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। **रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।** आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल एवं ई–मेल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

(2) **Final Submission से पूर्व** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

10. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।

(ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव

नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

11. शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (S. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन– शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
06.	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 22.30	रू0 22.30

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रियाः–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के उपरांत प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैंः–

(i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा से संबंधित निर्देशः–

(1) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

(2) **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा परिशिष्ठ–05 के नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है।

(3) गलत उत्तरों के लिए दण्ड–वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ii) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(04) लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाईट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त

आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(05) लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(06) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(07) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, लिखित परीक्षा के अंकों के साथ नही जोड़े जायेंगे। अंतिम चयन परिणाम **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा/लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) अभिलेख सत्यापन सूचीः– लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के अंकों से निर्मित मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार पदों के क्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की जायेगी। इस सूची के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि के लिए अभ्यर्थियों से मूल अभिलेख एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां व आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(1) अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की बेवसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(2) मूल प्रमाण–पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्र के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में अथवा छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में विज्ञापन के अनुसार अर्हता धारित न करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह किया जायेगा, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(घ) चयन परिणामः– अभिलेख सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों में से अर्ह अभ्यर्थियों के चयन परिणाम पद की संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार घोषित किया जायेगा।

(ड) सामान्य निर्देशः–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 (यथासंशोधित) आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाईट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(04) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने इत्यादि में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल **ukpschelpline@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(06) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/ लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा/ लिखित परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। **स्क्रीनिंग परीक्षा कराये जाने की दशा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा आयोजित करायी जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।**

(07) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(08) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड**

प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(09) परीक्षा केन्द्र में आचरणः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था नहीं फैलायेगा तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान नहीं करेगा, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायेंगे।

(10) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(13) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(14) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(16) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या

अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/अभिलेख परीक्षण कक्ष में मोबाइल फोन पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(19) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(21) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(22) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(23) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(24) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–01

डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0 सं0	भाग	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	भाग–1	होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी/आतिथ्य एवं होटल प्रशासन	100	100	02 घण्टा
	भाग–2	सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता,और उत्तराखण्ड से संबन्धित सामान्य ज्ञान	50	50	
कुल			**150**	**150**	

नोटः–उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट–02

Syllabus for Direct Recruitment Competitive Examination for the post of Vyavasthapak/Vyavasthadhikari (Group 'C')

(Objective Type)

Hotel Management&Catering Technology/Hospitality& Hotel Administration and General Studies

Total Questions: 150 **M.M: 150**

Time Allowed: 2 Hours

Part-1

Hotel Management and Catering Technology/Hospitality& Hotel Administration

Number of Questions: 100 **Maximum Marks: 100**

A – Food Production

Number of Questions: 20 **Maximum Marks: 20**

1. Introduction to cookery,Culinary History.
2. Classical and Modern hierarchy of kitchen.
3. Aims and objectives of cooking food.
4. HACCP – practices in Food handling and storage.
5. Fuels used in catering industry, different types of equipment used in kitchen and their care and maintenance.
6. Different methods of cooking.
7. Different types of stocks, soups and garnishes.
8. Mother sauces and their derivatives.
9. Food commodities: milk, cream, cheese, butter, sugar, salt, fat and oils, herbs and spices, pulses, rice, raising agents and thickening agents.
10. Salad and sandwiches: its composition, types of dressing, types of sandwiches.
11. Vegetables and fruit cookery; Classification, pigments, colour changes, cuts of vegetables, uses of fruits in cookery.
12. Egg cookery: Introduction to egg cookery, structure of egg, selection of egg, uses of egg in cookery
13. Meat cookery: Cuts of lamb/Mutton, cuts of chicken, offals, uses in cookery.
14. Fish cookery: Classification of fish, cuts of fish, selection of fish and shell fish, cooking of fish.
15. Kitchen planning: Layout and Design of kitchen.

16. Introduction to bakery: Principles of bakery, equipments used in bakery, different ingredients used in bakery.
17. Bread, cookies, Biscuits, Cake and pastries: Different methods of making, raw material required,faults and their remedies, diseases in bread.
18. Icing and Toppings.
19. Menu Planning for different types of organizations.
20. Introduction to Indian cookery: spices used, blending of spices,different types of gravies, Indian marinades and paste.
21. Regional Indian Cuisine: Heritage of Indian Cuisine, factor affecting eating habits, geographical locations, historical backgrounds, seasonal availability, special equipments, staple diet, specialty menus for festivals and special occasions.
    States: Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujrat, Andhra Pradesh, Bengal, Goa, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, North Eastern states.
22. Indian breads, snacks and sweets.
23. Quantity food production: equipments required for quantity kitchen, care and maintenance, principles of planning for quantity food production, indenting.
24. Volume feeding: Institutional, Industrial, Hospital and mobile catering.
25. Meaning of sausages, ham, bacon, gamon, galantine, force meat, pate, mousse and mousseline-chaudfroid, aspic, gelee, quenelles, parfaits, roulades
26. Appetizers and garnishes: Classification of appetizers, different types of garnishes and their importance.
27. Frozen desserts, meringues, chocolates.
28. International Cuisines: Staple food with regional influence, specialties, recipes, equipments in relation to- French, Chinese, Italian, Mexican, Oriental, Spanish, Portuguese, Arabic, Great Britain, Scandinavian Cuisine.
29. Standard recipe, standard yield, standard portion size.

B- Food and Beverage Service

Number of Question: 20 **Maximum Marks:20**

1. Introduction to Food and Beverage industry.
2. Food and Beverage outlets and ancillary areas.
3. Organization and staffing of food and beverage service department.
4. Food and beverage service equipments.
5. Types of food service.
6. Preparation of service- Mise-en-place, Mise-en-scene, opening, operating and closing duties, Table layout, layout of covers, setting up of side-board.
7. Non alcoholic beverages- Introduction, classification with examples (Tea, coffee, cocoa, syrups, squashes, juices, aerated drinks, mineral and natural water).

8. Menu planning- origin of menu, objective of menu planning, factors to considered while planning a menu, types of menu, courses of French Classical menu, cover of each course, accompaniments, types of meals.
9. Room service- Introduction, staffing, order taking, routing the order, delivering the order, providing amenities, sequence of service, lead time, forms and formats.
10. Alcoholic beverages- Introduction, classification, production of alcohol (Fermentation process, distillation process)

    Wines (Old world wines and new world wines)- classification, production, regions, grape varieties, brand names.

    Spirits- Introduction, Ingredients, Production of Whisky, Rum, Gin, Brandy, Vodka, Tequila, popular brands.

    Beer- Introduction, ingredients, types of beer, production of beer, storage, popular brands.

    Cocktails and Mixed drinks- Popular cocktails recipe and their preparation and service.

    Bar- Types of bar, parts of bar, Bar equipments.
11. Function Catering- Banquets (Formal and informal), Banquet protocol, types of Buffet, Toast and toast procedures.
12. Cost Control-Introduction to cost control, objectives and advantages, food costing, elements of cost, various pricing methods.
13. Food control cycle- purchasing, receiving, storing and issuing.
14. Inventory control- Importance, objectives, methods, level and techniques, monthly inventory, physical inventory, perpetual inventory.
15. Budgetary control- Objectives, types of budget, Budgetary control.
16. Restaurant planning, space, layout, Design, Menu, Menu merchandising, menu engineering, Swot Analysis, break even analysis, project planning.
17. Kitchen Stewarding- importance, machine used for cleaning and polishing.

C- Room Division Management

Number of Question: 15 **Maximum Marks: 15**

1. Introduction to Hospitality industry- Hospitality and its origin, evolution of tourism and hotel industry, introduction to world leading hotel brands, introduction to Indian leading hotel brands, role of tourism industry in Indian Economy with special reference to hotel industry.
2. Classification of hotels- On the basis of size, location, facilities, type of guest, length of stay, ownership basis, norms and standards for classification, types of rooms.
3. Different sections of front office and housekeeping, their staffing and duties and responsibilities.
4. Room tariff, structure and different meal plans.

5. Guest cycle, reservation, registration, check out procedure.
6. Front office accounting and Night Auditing.
7. Computer applications in front office and housekeeping along with various software used.
8. Front office: Guest safety and security, Yield management.
9. Cleaning organization- Principles of cleaning, methods of cleaning, frequency of cleaning, care of maintenance of equipments.
10. Cleaning of guest rooms and public area.
11. Housekeeping inventories- equipments, cleaning agents, supplies, linen and uniform.
12. Cleaning agents- types of cleaning agents, criteria for selection, polishes, floor seals, use, care and storage.
13. Composition, care and cleaning of different surfaces- metal, glass, leather, Rexene, plastic, ceramic, wood, wall finishes, floor finishes.
14. Linen- activities of linen room, equipments, selection criteria for linen items and fabrics, purchase of linen& fabric, linen control procedure, stock taking, linen supply.
15. Laundry- commercial and on-premises laundry, stages in wash cycle, laundry equipments, laundry agents, dry cleaning, valet service, stain removal.
16. Flower arrangement- equipment and material require for flower arrangements, conditioning of plant material, various styles and types of flower arrangements, principles of design applied to flower arrangement.
17. Interior decoration- elements of design, colour and its role in décor, types of colour schemes.
18. Different types of floor coverings, wall coverings and ceilings.
19. Lighting and lighting fixtures, types of lighting.
20. First aid, lost and found procedure.

D- Hotel Accounts and Financial Management

Number of Questions: 15 **Maximum Marks: 15**

1. Introduction to Accounting: Meaning & Definition, types and classification, Principles of Accounting, systems of Accounting.
2. Primary books, Secondary books, Subsidiary books, cash book, Trial balance, Final Accounts.
3. Financial Management: Meaning & scope
4. Financial Statement Analysis: Meaning, types of financial statements, techniques of financial Analysis.
5. Ratio Analysis: Meaning of Ratio, Classification of Ratios, Merits and Demerits of Ratios, Profitability Ratios, Turnover Ratios and Financial Ratios.
6. Fund Flow Analysis: Meaning of Fund flow statement, uses of Fund flow statement, preparation of Fund flow statement.

7. Cash Flow Analysis: Meaning of cash flow statement, Merits and Demerits of cash flow, preparation of cash flow statement, CEPS (Cash Earnings per Share).
8. Working Capital Management: Meaning of working capital, Factors determining working capital needs, capital structure theory, over capitalization and under capitalization.
9. Capital Budgeting: Importance of capital budgeting, capital budgeting appraising methods, payback period, Average rate of return, Net present Value, Profitability Index, Internal rate of return.

E- Nutrition, Hygiene and Food Science

Number of Questions: 15 **Maximum Marks: 15**

1. Introduction to Microbiology: classification of Microbes (Fungi, bacteria, yeast, Mold), Food Borne diseases.
2. Food Adulteration and Food Additives.
3. Food Spoilage: Meat, Fish, Egg, Vegetables, Fruits & Dairy products.
4. Introduction to Nutrition: Carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamins, Minerals and Salts.
5. Factors Affecting Food Intake: Food habits, Physiological, Psychological, Environmental, Behavioral, social.
6. Food groups: Dietary source of energy, Balanced diet, RDA, Special Diets(Diabetics, Blood pressure)
7. Introduction to FSSAI.
8. Introduction to Hygiene and Sanitation: Practices of personal hygiene, work area hygiene. Use of cleaners and sanitizers in maintaining safe production and service Environment.
9. Cleaning Methods: Design of premises and equipment in kitchen. Cleaning and Disinfection- Manual and Automatic Dish washing.
10. Food Handling: Hygienic food handling, High risk foods, preventing contamination, cross contamination, Danger Zone, Temperature control, Food hygiene regulations. Disposable of food waste and garbage in production areas and External pick-up areas.
11. Types of Freezers.

F- Tourism, Hotel and Catering Management

Number of Questions: 15 **Maximum Marks: 15**

1. Concept of Tourism: Definition and Meaning of Tourist, Traveler, Visitor, Excursionist, Transit visitor, International Tourist, Domestic Tourist, Typologies of Tourist, Classification of Tourist Motivation.

2. Hospitality & Tourism Organizations: WTO, FHRAI, IH&RA, IATA, PATA, DOT, Role of online travel business.
3. Emerging Tourism Trends: Eco-tourism, Green Tourism, Alternate Tourism, Heritage Tourism, Sustainable Tourism, cultural Tourism. Medical Tourism, Wellness Tourism.
4. Communication: Mode of communication, Barriers in communication, Formal & Informal communication.
5. Motivation: Theories and practices of motivating people in organizations.
6. Leadership: Qualities of leader, role of leader, Theories & styles.
7. Different types of Human Behavior: Individual, Group, conflict.
8. Meaning of Quality control, TQM, Three aspects TQM.
9. Marketing: Introduction, concepts of Marketing, Types of Marketing & its models, Customer expectations from Hospitality services, Seven P's of Marketing, Market segmentation, Targeting and Positioning.
10. Organization behavior and its importance.
11. Safety and Security Systems (Fire safety system, Emergency systems, Security checks, Alarm System).

PART 2

General Studies, General Intelligence, and General Knowledge related to Uttarakhand

Number of Questions: 50 **Maximum Marks:50**

A.General Studies

Number of Question: 10 **Maximum Marks: 10**

Current events of National and International importance, sports and entertainment, Indian history and Freedom Struggle, Science, and Technology, Indian polity, Indian and world geography and natural resources Indian economy-agriculture, trade and economy, Population, environment and urbanization in Indian context.

B.General studies related to Uttarakhand

Number of Question: 20 **Maximum Marks: 20**

a) Geographic personality of Uttarakhand.
b) Historic perspective.
c) Socio-cultural and economic perspective in relation to Tourism and Hospitality industry.
d) Flora & Fauna of Uttarakhand.
e) Destination for adventure tourism, river rafting, National parks, Sanctuaries and wild life tourism of Uttarakhand.

f) Religious and spiritual destinations of Uttarakhand.
g) Important monuments, museums and Historical sites.
h) Fairs, Festivals, Folk dances and religious processions.
i) Garhwali and Kumauni Cuisine.
j) Organization, Policies for the development of tourism in state.
k) Prevailing International and domestic tourist traffic, trends and Growth prospects.
l) Famous tourist destinations (economics, cultural and social perspectives)

C. General Intelligence Test

Number of questions: 20 **Maximum Marks: 20**

General Intelligence: The syllabus for general intelligence would include questions of verbal, non-verbal and analytical types including questions on analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding-decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, basic arithmetic,Geometry and mensurations(area, volume, perimeter)(high school level). The test would also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationship, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

व्यवस्थापक/व्यवस्थाधिकारी (समूह 'ग') के पद के लिए सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी/आतिथ्य एवं होटल प्रशासन तथा सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न–150 **अधिकतम अंक–150** **समयः 02 घण्टे।**

भाग–1

होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी/आतिथ्य एवं होटल प्रशासन

कुल प्रश्न–100 **अधिकतम अंक–100**

क–खाद्य उत्पादन

कुल प्रश्न–20 **अधिकतम अंक–20**

1. खाना बनाने का परिचय एवं उसका इतिहास,
2. रसोई विभाग का पदानुक्रम–प्राचीन और आधुनिक।
3. खाना पकाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य
4 एच.ए.सी.सी.पी.–खाद्य भण्डारण एवं प्रबन्धन की प्रक्रियाएं।
5. विभिन्न प्रकार के ईधनों का कैटरिंग उद्योग में प्रयोग तथा रसोई में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग तथा उनका रख–रखाव,
6. खाना पकाने की विभिन्न विधियां,
7-विभिन्न प्रकार के स्टॉक, सूप और उनकी सजावट।
8.मौलिक सौसॅ और उनके व्युत्पन्न।
9. भोजन सामग्रियां– दूध, क्रीम, चीज, मक्खन, चीनी, नमक, वसा एवं तेल, जड़ी–बूटियां एवं मसाले, दालें, विभिन्न प्रकार के चावल, रेज़िंग ऐजेंट तथा थिकनिंग ऐजेंट
10. सलाद तथा सेन्डविचः अवयव, विभिन्न प्रकार की ड्रैसिंग्स, विभिन्न प्रकार के सेन्डविच
11. सब्जी तथा फल पाक–कला– वर्गीकरण, पिंगमेन्ट, रंग परिवर्तन, सब्जियां काटने के विभिन्न ढंग, फलों का पाक–कला में उपयोग।
12. अण्डे की पाक–कलाः अण्डे की पाक–कला का परिचय, अण्डे की संरचना, अण्डे का चयन, अण्डे का पाक–कला में उपयोग,
13. मॉस की पाक–कलाः लेम्ब/मटन के भाग, चिकन के भाग, ऑफल्स, पाक–कला में उपयोग
14. मछली की पाक–कलाः मछली का वर्गीकरण, मछली के भाग, मछली एवं शेल–फिश का चयन, मछली पकाने की विधि,
15. रसोई घर की योजना, खाका एवं रसोई की डिजाईन
16. बेकरी का परिचयः बेकरी के सिद्धांत, बेकरी में प्रयोग में आने वाले उपकरण एवं विभिन्न खाद्य सामग्री,
17. ब्रेड, कूकीज, बिस्कुट केक एवं पेस्ट्री, बनाने की विभिन्न विधियां, आवश्यक कच्ची सामग्री, गलतियां एवं उनका सुधार और ब्रेड में बीमारियां,
18. आइसिंग एवं टॉपिंग
19. विभिन्न प्रकार के संगठनों में व्यंजन सूची (मेन्यू) की योजना,

20. भारतीय पाक–कला का परिचयः प्रयोग में आने वाले मसाले, मसाले का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की ग्रेवियां, भारतीय मैरिनेडस् एवं पेस्ट,
21. भारतीय क्षेत्रीय पाक कलाः भारतीय पाक–कला की विरासत, खाने की आदतों को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौसमी उपलब्धता, विशेष उपकरण, मुख्य आहार, त्यौहारों एवं विशेष आयोजन पर विशेष मेन्यू
    राज्यः कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, बंगाल, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर राज्य
22. भारतीय ब्रेड (रोटियां), स्नैक्स एवं मिठाईयां
23. मात्रात्मक भोजन उत्पादनः मात्रात्मक रसोई में आवश्यक उपकरण, देखभाल एवं मरम्मत, मात्रात्मक भोजन उत्पादन की योजना के सिद्धांत, इन्डेन्टिंग
24. वोल्यूम फीडिंगः संस्थान, उद्योग, अस्पताल एवं मोबाइल केटरिंग
25. सॉसेज, हैम, बेकन, गैमॉन, गेल्टिन, फोर्स मीट, पाते, मूसेज, मूजलिन, शॉफ्रद, एस्पिक, जैली, क्वेनल्स, पारफेद एवं रूलाडेस का अर्थ,
26. क्षुधावर्धक एवं गारनिशस्ः क्षुधावर्धक का वर्गीकरण, गारनिशस् के विभिन्न प्रकार एवं उनकी उपयोगिता
27. जमें हुये (फ्रोजन डेज़र्ट), मेंरिग्स, चॉकलेट,
28. अन्तर्राष्ट्रीय पाक–कलाः क्षेत्रिय प्रभाव के साथ मुख्य आहार, विशेषताएं, रेसिपी, फ्रांस, चीन, इटली, मैक्सिकों, ऑरियेन्टल, स्पेन, पुर्तगाल, अरब, ग्रेट ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियाई की पाक–कला से संदर्भित उपकरण,
29. मानक रेसिपी, मानक प्राप्ति, मानक भाग का आकार,

ख–खाद्य एवं पेय सेवा

कुल प्रश्न–20 **अधिकतम अंक–20**

1. खाद्य एवं पेय उद्योग का परिचय,
2. खाद्य एवं पेय के विभिन्न विभाग एवं सहायक विभाग,
3. खाद्य एवं पेय सेवा विभाग में कर्मचारियों का संगठन एवं अनुक्रम,
4. खाद्य एवं पेय सेवा विभाग के विभिन्न उपकरण,
5. खाद्य सेवा के प्रकार।
6. सेवा की तैयारीः Mise-en-place, Mise-en-scene, सेवा के प्रारम्भ, सेवा के दौरान एवं सेवा की समाप्ति के कर्तव्य, मेजों के बिछावन की व्यवस्था तथा साइड बोर्ड की व्यवस्था,
7. मदिरा रहित पेयः परिचय, वर्गीकरण उदाहरण सहित (चाय, कॉफी, कोको, सिरप, स्क्वैश, जूस, बुलबुले(Aerated) वाले पेय, खनिज युक्त जल एवं प्राकृतिक जल,
8. व्यंजन सूची (मेन्यू) की योजनाः व्यंजन सूची (मेन्यू) का उद्गम, व्यंजन सूची (मेन्यू) योजना का उद्देश्य, व्यंजन सूची (मेन्यू) बनाते वक्त ध्यान में रखने वाले कारक, विभिन्न प्रकार की व्यंजन सूची, French classical menu courses, प्रत्येक कोर्स का कवर, संगत, आहार के प्रकार,
9. कक्षीय सेवाः परिचय, स्टाफिंग, आदेश लेना, आदेश को क्रमित करना, आदेश का निर्वहन, सुख–सुविधाएं प्रदान करना, सेवा का क्रम, लीड टाइम, फार्म एवं फॉरमेट

10. मदिरा पेयः मदिरा का परिचय, वर्गीकरण तथा उत्पादन (किण्वन प्रक्रिया एवं आसवन प्रकिया) वाईन (पुराने विश्व देशों की वाईन एवं नये विश्व देशों की वाईन), वर्गीकरण, उत्पादक, क्षेत्र एवं अंगूर की विविधता एवं ब्रांड नाम
    स्पिरिटः परिचय, सामग्रियां, विस्की का उत्पादन, रम, जिन, ब्रान्डी, वोदका, टकीला, प्रचलित ब्रांड
    बियरः परिचय, सामग्रियां, बियर के प्रकार, बियर का उत्पादन, भण्डारण और प्रचलित ब्रांड
    कॉकटेल्स एवं मिश्रित पेय, प्रचलित कॉकटेल बनाने की रेसिपी उनकों बनाने विधि एवं सेवा
    बार, बार के प्रकार, बार के भाग, बार के उपकरण।
11. आयोजन कैटरिंग– बैंक्वेट (औपचारिक एवं अनौपचारिक) बैंक्वेट मसविदा, Buffet के प्रकार, टोस्ट एवं टोस्ट प्रकिया।
12. लागत नियन्त्रण– लागत नियन्त्रण का परिचय, उद्देश्य एव लाभ, खाद्य लागत, लागत के तत्व, कीमत निर्धारण की विभिन्न विधियां।
13. खाद्य लागत क्रमः क्रय, प्राप्ति, भण्डारण तथा निर्गम,
14. इन्वेन्ट्री नियंत्रणः महत्व, उद्देश्य, पद्धति, स्तर, एवं तकनीक, मासिक इन्वेन्ट्री, भौतिक इन्वेन्ट्री, प्रीपेजुअल इन्वेन्ट्री
15. बजटीय नियंत्रण–उद्देश्य, बजट के प्रकार, बजटीय नियंत्रण।
16. रेस्तरां योजना, जगह (space), रेस्तरां ले आउट, डिजाइन, व्यंजन सूची, व्यंजन सूची व्यापार, व्यंजन सूची अभियंत्रण S.W.O.T. (एस.डब्लू.ओ.टी.) विश्लेषण ब्रेक इवन विश्लेषण, प्रोजेक्ट योजना,
17. रसोई स्टूयूवर्डिग, महत्ता, सफाई व पॉलिश करने के उपकरण।

ग–कमरा प्रभाग प्रबंधन

कुल प्रश्न–15 **अधिकतम अंक–15**

1. आतिथ्य उद्योग का परिचयः आतिथ्य एवं उसका उद्गम, पर्यटन एवं होटल उद्योग का विकास, विश्व के प्रमुख होटलों का परिचय, भारतीय प्रमुख होटलों का परिचय, भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका मुख्यतः होटल उद्योग के परिप्रेक्ष्य में
2. होटल का वर्गीकरणः आकार, स्थान, सुविधाएं, अतिथि प्रकार, ठहरने का समय, मालिकाना हक के आधार पर, मानदंड और मानक के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के कमरे,
3. फ्रंट ऑफिस और गृह व्यवस्था के विभिन्न आयाम, कर्मचारी पदानुक्रम और उनका उत्तरदायित्व।
4. टैरिफ ढांचा, संरचना और विभिन्न प्रकार की आहार योजनाएं
5. अतिथि सेवा क्रम, आरक्षण पंजीकरण, चेक आउट की प्रक्रिया
6. फ्रंट ऑफिस का लेखा–जोखा, लेखाकंन एवं नाइट आडिटिंग
7. फ्रंट ऑफिस और गृह व्यवस्था में कम्प्यूटर का योगदान तथा विभिन्न प्रकार के होटल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल,
8. फ्रंट ऑफिसः अतिथि बचाव सुरक्षा एवं यील्ड प्रबंधन,

9. सफाई संगठनः सफाई के सिद्धांत और सफाई व्यवस्थित करने की विधि, उपकरणों का प्रयोग और देखभाल,
10. अतिथि कक्ष तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सफाई,
11. गृह व्यवस्था इन्वेन्टरीः उपकरण, सफाई करने के साधक, आपूर्ति, लिनेन एवं यूनीफार्म
12. सफाई करने के साधकः विभिन्न प्रकार के सफाई करने के साधक, चयन का मानदण्ड, पॉलिश, फ्लोर सील, उपयोग, देखभाल एवं भण्डारण
13. विभिन्न सतहों की रचना, देखभाल और सफाई– धातु, कांच, चर्म, रेक्सीन, प्लास्टिक, सेरेमिक, लकड़ी, दीवार फिनिश, फर्श फिनिश
14. लिनेनः लिनेन कक्ष की गतिविधियां, उपकरण, लिनेन तथा फैब्रिक को चयन करने के मानदण्ड, लिनेन तथा फैब्रिक की खरीददारी, लिनेन नियंत्रण की विधि, स्टॉक टेकिंग, लिनेन की आपूर्ति,
15. लॉन्ड्रीः व्यावसायिक एवं ऑन प्रीमाइसेस लॉन्ड्री, धोने के चक्र के चरण, लॉन्ड्री उपकरण, लॉन्ड्री के साधक, ड्राई क्लिनिंग, वेले सेवा, दाग धब्बे मिटाना,
16. पुष्प विन्यास–, उपकरण, पुष्प विन्यास के लिए जरूरी सामग्री, पौधों की कन्डींशनिंग,पुष्प विन्यास के विभिन्न प्रकार एवं शैलियां, पुष्प विन्यास पर लागू डिजाइन के सिद्धांत
17. आन्तरिक सजावटः डिजाइन के तत्व, रंग एवं सजावट में रंगों की भूमिका, विभिन्न प्रकार के रंगों की स्कीम,
18. विभिन्न प्रकार के फर्श, दीवार और छत आवरण,
19. लाइटिंग एवं लाइटिंग फीक्सचर्स विभिन्न प्रकार की लाईटें
20. प्राथमिक उपचार, खोया एवं पाया प्रक्रिया,

घ–होटल लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन

कुल प्रश्न–15 **अधिकतम अंक–15**

1. लेखांकन (लेखा–जोखा) का परिचय– अर्थ एवं परिभाषा, वर्गीकरण, लेखांकन के सिद्धान्त, लेखांकन प्रणालियाँ,
2. प्राइमरी बुक, सेकेण्डरी बुक, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल एकांउटस्
3. वित्तीय प्रबन्धनः अर्थ एवंमहत्ता
4. वित्तीय विवरण आकलनः अर्थ , विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरण, वित्तीय आकलन की तकनीक
5. अनुपात विश्लेषणः अर्थ, वर्गीकरण, गुण और अवगुण, लाभ प्रदत्ता, अनुपात कारोबार अनुपात तथा वित्तीय अनुपात।
6. निधि प्रवाह आकलनः निधि प्रवाह विवरण का अर्थ , निधि प्रवाह विवरण का प्रयोग, निधि प्रवाह को बनाना ।
7. नकदी प्रवाह आकलनः अर्थ, गुण एवं अवगुण, नकदी प्रवाह विवरण को बनाना, सी.ई.पी.एस-(C.E.P.S.)
8. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेण्टः अर्थ, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को बताने वाले कारक, पूंजी संरचना के सिद्धान्त, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण।
9. पूंजी बजटःपूंजी बजट की महत्ता, पूंजी बजट के मूल्यांकन के तरीके, ऋण वापसी की अवधि, वापसी की औसत अवधि दर, शुद्ध वर्तमान मूल्य, लाभ प्रदत्ता सूचकांक, आन्तरिक वसूली दर।

ड़–पोषण, स्वच्छता और खान–पान विज्ञान

कुल प्रश्न–15 **अधिकतम अंक–15**

1. सूक्ष्मजीव विज्ञान का परिचय–सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण (फंगी, जीवाणु, खमीर, मोल्ड) खाद्य जनित बीमारियां
2. खाद्य अपमिश्रण एवं खाद्य योजक
3. भोजन का खराब होनाः मांस, मछली, अंडे, सब्जियां, फल एवं दुग्ध उत्पाद
4. पोषण का परिचयः कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज पदार्थ एवं लवण
5. भोजन सेवन को प्रभावित करने वाले कारकः खाने की आदत, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, स्वभाव एवं सामाजिक
6. खाद्य समूहः ऊर्जा के आहर स्त्रोत, संतुलित आहार, आर0डी0ए0, विशेष आहार(मधुमेह, रक्तचाप)
7. F.S.S.A.I. का परिचय,
8. स्वच्छता एवं सेनिटेशन का परिचयः व्यक्तिगत स्वच्छता की प्रथाएं एवं कार्य क्षेत्र की स्वच्छता की प्रथाएं, उत्पादन और सेवा वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्लीनर्स और सेनिटाइजर्स के प्रयोग,
9. सफाई की विभिन्न विधियां : रसोई के परिसर की डिजाइन एवं उपकरण, सफाई एवं कीटाणुशोधन, मानवीय एवं स्वचालित बर्तन धोना
10. खाद्य हैन्डलिंगः स्वच्छ खाद्य हैन्डलिंग, भारी जोखिम खाद्य पदार्थ, संदूषण रोकथाम, पार संदूषण, खतरे का क्षेत्र, तापमान नियंत्रण, खाद्य स्वच्छता विनियमन, उत्पादन एवं बाह्य उठावन के क्षेत्र में खाद्य कचरा व कचरे का निपटारण,
11. विभिन्न प्रकार के फ्रीज़र्स,

च–पर्यटन, होटल औरकैटरिंग प्रबंधन

कुल प्रश्न–15 **अधिकतम अंक–15**

1. पयर्टन की संकल्पनाः पर्यटक की परिभाषा एवं अर्थ, यात्री, आगतुंक, एक्सकर्सनिष्ट, ट्रान्जिट आगतुंक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, घरेलू पर्यटक, विभिन्न प्रकार के पर्यटक, पर्यटकों की प्रेरणा का वर्गीकरण,
2. आतिथ्य एवं पर्यटन संगठनः W.T.O., F.H.R.A.I., I.H.& R.A., I.A.T.A.,P.A.T.A.,D.O.T., यात्रा व्यवसाय में ऑनलाइन की भूमिका
3. उभरते पर्यटन के चलनः पर्यावरणीय पर्यटन, हरित पर्यटन, वैकल्पिक पर्यटन, विरासतीय पर्यटन, सतत् पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सकीय पर्यटन, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन,
4. सम्प्रेषणः सम्प्रेषण के तरीके, सम्प्रेषण में बाधाएं, औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रेषण
5. प्रेरणाः संगठन में कर्मचारियों को प्रेरित करने के सिद्धांत एवं प्रथाएं
6. नेतृत्वः नेतृत्व के गुण, नेतृत्व की भूमिका, सिद्धांत एवं शैली
7. मानवीय व्यवहार के विभिन्न रूपः व्यक्तिगत, समूह, विवाद
8. गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ, टी. क्यू.एम. एवं टी. क्यू.एम के तीन पहलू

9. विपणनः परिचय, विपणन की संकल्पना, विपणन के प्रकार तथा इसके मॉडल आतिथ्य सेवाओं से ग्राहक की अपेक्षाएं, विपणन के सात P's , बाजारीय खण्डकरण लक्ष्य एवं स्थिति निर्धारण,
10. संगठन व्यवहार एवं उसकी महत्ता,
11. बचाव एवं सुरक्षा प्रणाली (अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपात प्रणाली, सुरक्षा जाँच, अलार्म प्रणाली)

भाग–2

सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता,और उत्तराखण्ड से संबन्धित सामान्य ज्ञान

कुल प्रश्न–50 **अधिकतम अंक–50**

क–सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न–10 **अधिकतम अंक–10**

समसामयिक महत्व की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेलों और मनोरंजन की वर्तमान घटनाएं, भारतीय इतिहास और स्वाधीनता संग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय राजव्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था–कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण।

ख–उत्तराखण्ड से सम्बन्धित सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न–20 **अधिकतम अंक–20**

(a) उत्तराखण्ड का भौगोलिक व्यक्तित्व

(b)ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,

(c) पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का सम्बन्धः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में।

(d) उत्तराखण्ड की वनस्पति एवं जीव

(e) साहसिक पर्यटन के गंतव्य, रिवर रॉफ्टिग, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों, उत्तराखण्ड में वन्य जीव पर्यटन।

(f) उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल

(g) उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण स्मारक , संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्थल।

(h) उत्तराखण्ड के मेले, त्यौहार, लोक नृत्य तथा धार्मिक जुलूस

(i) गढ़वाली एवं कुमांऊनी व्यंजन एवं पाक–कला

(j) उत्तराखण्ड के पर्यटन विकास के लिए संगठन और नीतियां।

(k) वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों का आगमन प्रचलन तथा विकास की संभावना।

(l) प्रसिद्ध पर्यटक स्थल (आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में)

ग – सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा

कुल प्रश्न– 20 **अधिकतम अंक – 20**

सामान्य बुद्धिमत्ता :–सामान्य बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रम में सादृश्य, साइलोजिस्म, समरूपता, भिन्नता, अप्राप्त संख्या, संप्रतीक और अनुक्रम, अंतराल चित्रण, समस्या निवारण, विश्लेषण, न्याय, निर्णय करना, विजुअल मैमोरी, विभेदन, निरूपण, संबंध अवधारणाएं, दिशा बोध, कूट–कूटवाचन, अंकगणितीय तर्क–वितर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, आंकड़ा निरूपण और विश्लेषण, मूल अंकगणित, ज्यामिती, क्षेत्रमिति (क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप) (हाईस्कूल स्तर) मौखिक, गैर–मौखिक और विश्लेषणात्मक सहित प्रश्न होगें। परीक्षा में अमूर्त धारणाओं, तथ्यों और आंकड़ों, चिह्नों और उनकी सादृश्यता, अंकगणितीय व संख्यात्मक संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय और मात्रात्मक प्रकार्य से निबटने की उम्मीदवार की योग्यता परखने के लिए बनाए गए प्रश्न भी शामिल होगें।

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....

.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : **हस्ताक्षर .....**

दिनांक : **पूरा नाम .....**

मुहर : **पदनाम .....**

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03 "ख"

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03 "ग"

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस..... ..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

परिशिष्ट–03 "घ"

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील ..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

परिशिष्ट–03

"ङ:"

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....
.....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) एल वी0/पी बी – कम दृष्टि/ आंशिक दृष्टिहीन

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हाँ/नहीं
(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

(डा0.....) (डा0.....) (डा0.....)

सदस्य सदस्य सदस्य

चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–04

डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक–2024 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 में निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए अनिवार्य हैः–

क्र0 सं0	आरक्षण की श्रेणी	अंतिम चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	**40%**
3.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	**35%**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**40%**

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा–2024 के लिए लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र/जनपद की सूची

S. No.	District Name	City Name	City Code
01	Nainital	Haldwani	01
02	Haridwar	Haridwar	02
03	Dehradun	Dehradun	03

नोट :: आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आंवटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–06

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव।

परिशिष्ट–06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …….. (name of the candidate with disability), a person with …….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ……., a resident of ……....(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ……., a candidate with …….(name of the disability) appearing for the …….(name of the examination) bearing Roll No. ……. at …….(name of the centre) in the District ……. (name of the State). My qualification is …….

I do hereby state that ……. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is ……. In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. **Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....** अध्यक्ष
ii. **Orthopaedic/PMR specialist**
iii. **Neurologist** (उपलब्धता के आधार पर)
iv. **Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator**
v. **Occupational therapist** (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–7(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

सचिव।

परिशिष्ट–07 (I)

Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……(name of the candidate), S/o /D/o ……..a resident of …….. (Vill/PO/PS/District/State), aged…… yrs, a person ……(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–07 (II)
Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I_____, a candidate with_____(nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____at_____(name of the center) in the District _____,_____(name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that_____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

Ref. No. :-

Logo of Office
(If available)

Experience Certificate

Name of Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute…… ……
Address of Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute : …….…….
Date of Reg. of Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute : ……..……..
Nature of Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute (Govt./Semi Govt./Autonomous institution/Board/Body/Private)……...
Rating given by Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee of India (H.R.A.C.C.) to Hotel/Restaurant/Institute……
Telephone No……Website: ……..……

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr. ..... Son/ Daughter/Wife of shri..... is an employee of this Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute and duties performed by him/her during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience:	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Hotel/Restaurant/Canteen/ Institute.

Date
Place :

(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

***** All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा–2024
Check List

पदनाम – व्यवस्थाधिकारी/व्यवस्थापक अनुक्रमांक.....

क्र0सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण–पत्र *	
06	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** **(अ) व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल हेतु :–** (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेन्ट में डिग्री। **(ब) व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग हेतु :–** भारत के मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो; तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी में 03 वर्षीय डिप्लोमा धारक भी हो। **अथवा** होटल मैनेजमेन्ट में स्नातक उपाधि नेशनल कांउसिल फॉर होटल मैनेजमेंन्ट एण्ड कैटिरिंग टैक्नोलॉजी (NCHMCT) या उससे सम्बद्ध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी हो। **(स) व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु :–** **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापन एवं खान–पान तकनीक (Hotel Management and Catering	

	Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्णकालिक स्नातक उपाधि तथा, **(दो)** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee) द्वारा दो या इससे अधिक सितारों (Two Star and above) के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में, न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो।	
07	**अधिमानी अर्हता** **(अ) व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल हेतु :–** (i)ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम एक वर्ष का **केटरिंग व हाउसकीपिंग** में कार्य करने का अनुभव हो। (ii) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **(ब) व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग हेतु :–** (i)सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। सरकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट तथा कैन्टीन सम्मिलित माने जायेंगे, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/निकाय के अधीन संचलित हो, जबकि निजी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेन्ट सम्मिलित माने जायेंगे, जिन्हें होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेंशन कमेटी (H.R.A.C.C) द्वारा स्टार रेटिंग्स प्रदान की गयी हो। (ii) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **(स) व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु :–** (i) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथावा ''सी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (iii) एन0एस0एस0 का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
08	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/ उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
10	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	

11	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
12	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
13	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या **A-4/DR/M.O.&Manager/E5/2023-24** दिनांकः **19 जनवरी, 2024** के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद **व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/व्यवस्थापक, राज्य सम्पत्ति विभाग** (ग्रेड–पे 4600) अथवा **व्यस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (ग्रेड–पे 4200)** से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
14	विज्ञापन के बिन्दु सं0–03 में अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा 4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा 4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	
15	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	

16	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
17	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि अवश्य लेकर आयें।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि 09 फरवरी, 2024 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।**

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र **वित्तीय वर्ष 2022–2023** की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....